CAB Rules, 2010

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933
No. 176] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सा.का.नि. 279(अ).—न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2010 के नियमों का प्रारूप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 द्वारा यथा अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 876(अ) तारीख 2 नवम्बर 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए बिल के उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व आलेख ओर सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 नवम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार से कोई आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 1949 उन बातों के सिवाय अधिक्रस्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

नियम

1. (I) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**- इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

3. **केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन:-** (1) बोर्ड में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले, नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जो संख्या में बराबर होंगे, और नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संघों में से नामित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक स्वतंत्र सदस्य होंगे।

(2) बोर्ड में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले निम्नलिखित स्वतंत्र सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) अध्यक्ष;

(ii) एक संसद सदस्य;

(iii) बोर्ड के प्रत्येक पुनर्गठन पर- दो सदस्य, यथासंभव, बारी बारी से, किन्हीं दो क्षेत्रों से, जो उस क्षेत्र में राज्य विधान सभाओं के सदस्य हों, निम्नलिखित क्रम से लिए जाएंगे, अर्थात् :-

(क)	पूर्वी क्षेत्र	-	पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;
(ख)	पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम;
(ग)	दक्षिणी क्षेत्र	-	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप;
(घ)	उत्तरी क्षेत्र	-	पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़;
(ङ)	पश्चिमी क्षेत्र	-	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(iv) एक सदस्य, जो मजदूरी और श्रम संबंधी मामलों के क्षेत्र में व्यावसायिक हो;

(v) एक सदस्य, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, अथवा किसी मजदूरी बोर्ड का अध्यक्ष हो अथवा रहा हो;

(vi) बोर्ड के प्रत्येक पुनर्गठन पर- दो सदस्य, यथासंभव, बारी बारी से, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के राज्यों से लिए जाएंगे, जो राज्य सरकारों द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे;

(vii) बोर्ड के प्रत्येक पुनर्गठन पर- प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य, यथासंभव, बारी-बारी से लिए जाएंगे जो, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य श्रम विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव अथवा आयुक्त होंगे।"

4 **सदस्यों की पदावधि** - (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, शासकीय सदस्यों से भिन्न, सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रारम्भ हो कर दो वर्ष का होगा:

परन्तु यह कि कोई सदस्य, उक्त दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बना रहेगा।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित कोई सदस्य, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक जिस सदस्य के स्थान पर उसे नामित किया गया था, यदि रिक्ति हुई होती तो वह सदस्य उस पद पर बना रहने का हकदार होता।

(3) शासकीय सदस्य अन्यों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक पद पर बने रहेंगे।

5. **पुन: नामनिर्देशन किए जाने की पात्रता-** कार्य काल पूरा कर चुका सदस्य पुन:नामनिर्देशन किए जाने का पात्र होगा।

6. **त्याग-पत्र -(1)** अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है।

(2) अध्यक्ष अपना पद, केन्द्रीय सरकार को संबोधित पत्र के द्वारा त्याग सकते हैं।

(3) किसी सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा -

(i) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार दिया जाए; अथवा

(ii) यदि वह अनुन्मोचित शोधक्षम हो; अथवा

(iii) यदि अधिनियम शुरू होने से पहले अथवा उसके बाद उसे किसी अपराध में सिद्धदोष पाया गया हो, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य के नामांकन को रद्द कर सकती है, यदि उसकी राय में उसने उस हित का प्रतिनिधित्व करना समाप्त कर दिया हो जिसकी तरफ से उसे नामित किया गया था।

7. **सदस्यता के प्रत्यावर्तन की समाप्ति** - (1) यदि कोई सदस्य बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति की सदस्यता तब समाप्त मानी जाएगी जब इस प्रकार सदस्यता समाप्ति पत्र की सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा ऐसे प्रतिबंध के पन्द्रह दिनों के भीतर भेज दी जाए । उस पत्र में यह उल्लिखित होगा कि यदि वह अपनी सदस्यता का प्रत्यावर्तन चाहता है तो उसे ऐसे पत्र की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसे प्रत्येक आवेदन में तीन क्रमिक बैठकों में उपस्थित न होने के कारण उल्लिखित होंगे । सदस्यता का प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन, यदि प्राप्त हुए हों, बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे और यदि बैठक में विद्यमान अधिकांश सदस्य संतुष्ट हों की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न रहने का कारण समुचित है, तो सदस्य की सदस्यता तत्काल प्रत्यावर्ता कर दी जाएगी और इस संबंध में एक संकल्प पारित किया जाएगा।

8. **बैठक** - अध्यक्ष, जब उचित समझें तथा आधे से अनधिक सदस्यों से प्राप्त लिखित मांग की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं।

9. **बैठक की सूचना** - (1) अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेगा। सामान्यत: बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को तारीख निर्धारण के 15 दिनों के भीतर दे दी जाएगी। सूचना के साथ ही बैठक की प्रस्तावित कारबार से संबंधित सूची संलग्न की जाएगी।

(2) यदि कोई आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक सदस्य को कम से कम सात दिन पूर्व सूचना दी जाएगी ।

10. **बैठक के अध्यक्ष** - अध्यक्ष, बैठकों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विद्यमान सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव करेंगे।

11. **गणपूर्ति** - किसी बैठक की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि एक-तिहाई सदस्य मौजूद न हों :-

परन्तु, यदि किसी बैठक में एक- तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष एक घंटे के लिए बैठक स्थगित कर सकते हैं अथवा जैसा उपयुक्त समझें और ऐसे स्थगित बैठक की कारबार को पूरा करना विधिसम्मत होगा चाहे सदस्य कितनी भी संख्या में मौजूद हों।

12. **कारबार निपटान** - कोई भी कार्य, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो, बैठक के दौरान उस पर विचार किया जाएगा :

परन्तु, अध्यक्ष यदि उचित समझें, तो जरूरी दस्तावेज सभी सदस्यों के विचारार्थ भेजने का निर्देश दे सकते हैं:

परन्तु और यह कि, इस प्रकार भेजे गए किसी प्रश्न संबंधी निर्णय पर कार्रवाई तभी की जाएगी जब बोर्ड के दो तिहाई से अधिक सदस्य इस प्रश्न पर सहमत हों। जब कभी ऐसा बहुमत न हो अथवा जब अध्यक्ष ऐसे किसी प्रश्न का निर्णय करते हैं तो उस पर बोर्ड की विधिवत बुलाई गई बैठक की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जाएगी।

13. **मतदान की प्रक्रिया** - मतदान सामान्यत: हाथ उठाकर की जाएगी । यदि कोई सदस्य बैलेट के माध्यम से मतदान चाहता है अथवा अध्यक्ष ऐसा चाहे तब मतदान गुप्त बैलेट के माध्यम से कराया जाएगा और इस प्रक्रिया को अध्यक्ष की इच्छानुसार पूरी रीति से संपन्न कराई जाएगी।

14. **बहुमत द्वारा निर्णय** - बार्ड की बैठक के दौरान प्रत्येक प्रश्न पर बोर्ड में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा निर्णय लिए जाएंगे:

परन्तु, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता कर रहे सदस्य का मत निर्णायक होगा।

15. **बैठक की कार्यवाही** - प्रत्येक बैठक की कार्यवाही में अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम, बोर्ड के केन्द्र तथा सभी राज्य सरकारों के प्रत्येक सदस्य को जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है और बैठक की समाप्ति के तत्काल पश्चात जितनी जल्दी संभव हो, किसी भी स्थिति में, अगली बैठक से सात दिन पूर्व से कम नहीं,भेज दी जाएगी।

प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाएगी और उनमें अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन किए जाएंगे ।

[फा. सं. एस-32012/1/2010-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू]
डॉ. हरचरण सिंह, उप--महानिदेशक